Notes By Akhilesh Kumar
JK college Biraul Darbhanga
YouTube : A commerce Education

Notes BY: AKHILESH KUMAR(Guest Teacher)

DEPARTMENT OF COMMERCE

JANTA KOSHI COLLEGE BIRAUL, DARBHANGA

FOR-LNMU B. COM PART -2 Hons paper -III Business and Regulatory Framework

Lecture no -4

Easy to understand the concept

Notes By Akhilesh Kumar
JK college Biraul Darbhanga
YouTube : A commerce Education

Unit-1

(Indian Contract Act, 1872)

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872

Discharge of contract indemnity and Guarantee

प्रतिभू का अपने दायित्व से मुक्त होना (Discharge of Surety from his Liability)

निम्नलिखित दशाओं में प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है एवं उसके द्वारा दी गई गारण्टी का अन्त हो जाता है -

1. **सुचना द्वारा खण्डन किये जाने पर (By Notice of Revocation) – चालू गारण्टी की दशा में प्रतिभू व्यवहारों के सम्बन्ध में किसी भी समय ऋणदाता को गारण्टी के खण्डन की सुचना देकर अपने भावी दायित्व से मुक्त हो जाता है | परन्तु एक विशिष्ट गारण्टी (प्रत्याभूति) की दशा में यदि उतरदायित्व उत्पन्न हो गया ही तो उसका खण्डन नहीं किया जा सकता | यदि उतरदायित्व उत्पन्न**

हुआ हो तो विशिष्ट प्रत्याभूति की दशा में भी प्रतिभू ऋणदाता को खण्डन की सुचना देकर अपने दायित्व से मुक्त हो सकता है | (धारा 130)

2. प्रतिभू की मृत्यु होने पर (By Death of Surety) – किसी विपरीत अनुबन्ध के अभाव में प्रतिभू की मृत्यु हो जाने पर मृत्यु के पश्चात् उत्पन्न होने वाले लें-देनो के लिये प्रतिभू का दायित्व समाप्त हो जाता है | मृत्यु के पश्चात् उत्पन्न होने वाले दायित्वों के लिये प्रतिभू की सम्पति या उसके अधिकारी भी उतरदायी नहीं होते है | ऋणदाता को प्रतिभू की मृत्यु की सुचना दिया जाना भी आवश्यक नहीं है | मृत्यु से पूर्व हुये व्यवहारों के लिये प्रतिभू के उतराधिकारियों का दायित्व बना रहता है | (धारा 131)
3. अनुबन्ध की शर्तों में परिवर्तन होने पर (By Variance in the Terms of the Contract) – यदि प्रतिभू की सहमति के बिना ऋणदाता एवं मूल ऋणी द्वारा मूल अनुबन्ध की शर्तों में कोई परिवर्तन कर दिया जाता है, भले ही परिवर्तन प्रतिभू के लाभ के लिये क्यों न हो तो भी परिवर्तन के बाद उत्पन्न होने वाले दायित्वों के सम्बन्ध में प्रतिभू अपने उतरदायित्व से मुक्त हो जाता है | परन्तु यदि परिवर्तन के लिये प्रतिभू ने अपनी सहमति दे दी तो वह अपने उतरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता |
उदाहरणार्थ, अतुल, विपुल को 1 मार्च 2,000 रुपये का ऋण देने का वचन देता है एवं वचन देता है एवं ऋण वापसी की गारण्टी राहुल द्वारा दी जाती है | परन्तु अतुल यह ऋण विपुल को 1

जनवरी क ही दे देता है | चुँकि ऋण प्रदान करने की तिथि में प्रतिभू की सहमति के बिना ही परिवर्तन कर लिया गया है, अतः राहुल अपने उतरदायित्व से मुक्त हो जायेगा | (धारा 133)

4. **मूल ऋणी को मुक्त कर देने पर (By Release or Discharge of Principal Debtor) –** यदि मूल ऋणी एवं ऋणदाता आपस में कोई ऐसा अनुबन्ध कर लेते है अथवा ऋणदाता कोई ऐसा कार्य या भूल करती है जिसके फलस्वरूप मूल ऋणी अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है तो ऐसी दशा में प्रतिभू भी अपने दायित्व से मुक्त हो जायेगा | परन्तु यदि ऋणदाता निश्चित समय (Period of Limitation) के अन्दर मूल ऋणी पर ऋण की वसूली के लिये वाद प्रस्तुत करने में भूल करता है तो इससे प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त नहीं होता है | यदि मूल ऋणी दिवालिया हो जाता है तो भी यह नियम लागू नहीं होगी |

   उदाहरणार्थ, अजय द्वारा विजय को बेचे जाने वाले माल के भुगतान के लिये संजय गारण्टी देता है | बाद में विजय की वितीय स्थिति खराब हो जाती है, अतः वह विजय सहित अपने सभी लेनदारों में विभिन्न अनुबन्धो के अधीन अपनी सम्पति बाँटकर दायित्व मुक्त हो जाता है | अजय के साथ किये गये इस अनुबन्ध से विजय ऋणदाता हो गया, अतः संजय भी प्रतिभू के रूप में अपने दायित्व से मुक्त हो जाना जायेगा | (धारा 134)

5. **ऋणदाता तथा मूल ऋणी में समझौता होने पर (By Composition Between Creditor and Principal Debtor) –** धारा 135 के अनुसार

यदि ऋणदाता, मूल ऋणी के साथ बिना प्रतिभू की सहमति के कोई ऐसा अनुबन्ध कर लेता है जो मूल ऋणी के दायित्व को कम कर देता है अथवा ऋण की अवधि बढ़ा देता है या मूल ऋण को कम कर देता है अथवा ऋण की अवधि बढ़ा देता है या मूल ऋणी पर मुकदमा न चलाने का वचन देता है तो प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जायेगा |

इस नियम के निम्नलिखित तीन अपवाद है अर्थात् निम्नांकित स्थितियों में प्रतिभू अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं होगा -

(i) जब मूल ऋणी को अतिरिक्त समय देने के अनुबन्ध ऋणदाता ने मूल ऋणी के साथ न करके किसी तीसरे पक्षकार के किया हो | (धारा 136),

(ii) धारा 137 के अनुसार यदि ऋणदाता, मूल ऋणी पर कोई वाद प्रस्तुत न करें और न ही कोई दूसरा उपाय उसके विरुद्ध प्रयोग करें तो ऋणदाता का इस प्रकार रुका रहना प्रतिभू को अपने दायित्व से मुक्त नहीं करेगा जब तक की इसके विपरीत कोई ठहराव न हो,

(iii) धारा 138 के अनुसार यदि किसी अनुबन्ध में कई सह-प्रतिभू और ऋणदाता उनमें से किसी एक को दायित्व से मुक्त कर देता है ऐसी दशा में सह प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा |

उदाहरणार्थ, (i) अजय, विजय को 500 रुपये से ऋणी है जिसके भुगतान की गारण्टी संजय द्वारा दी गई एवं ऋण का भुगतान एक वर्ष बाद किया जाना है | अजय की प्रार्थना पर परन्तु संजय की सहमति के बिना विजय ऋण की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर देता है | ऐसी दशा में संजय अपने दायित्व से मुक्त हो जायेगा |

(ii) रजत, भरत का 500 रुपये से ऋणी है जिसके भुगतान की गारण्टी प्रशान्त द्वारा दी गई है | ऋण देय हो जाने पर भी भरत, रजत पर | वर्ष तक वाद प्रस्तुत नहों करता है | यहाँ पर प्रशान्त अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा |

6. ऋणदाता के किसी कार्य अथवा भूल से प्रतिभू के अधिकार में कमी अपने पर (By Creditor's Act or Omission Impairing Surety's Remedy) – यदि ऋणदाता कोई ऐसा कार्य करता है जो प्रतिभू के अधिकारों के विरुद्ध ही या कोई ऐसा कोई कार्य करना भूल जाता है जिसे पूरा करना उसका उतरदायित्व था और जिसके कारण मूल

ऋणी के विरुद्ध प्रतिभू के अधिकारों में कमी जाती है, ऐसी दशा में प्रतिभू अपने उतरदायित्व से मुक्त हो जाता है |

(धारा 139)

उदाहरण - (i) रजत, भरत के लिये एक जहाज बनाने का अनुबन्ध करता है | यह तय हुआ की जैसे-जैसे काम पूरा होता जायेगा, मूल्य का भुगतान किश्तों में होता रहेगा | रोहित ने रजत से द्वारा जहाज बनाने की गारण्टी दी | भरत बिना रोहित की अनुमति के, जहाज पूरा होने के से पहले ही दो अन्तिम किश्तों का भुगतान कार देता है | इसे रोहित का दायित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि काम पूरा होने से पहले अन्तिम किश्तों का भुगतान करना उसके हित के विपरीत है |

(ii) अजय, अरुण को अतुल की दुकान पर नौकर रखवाता है तथा उसकी ईमानदारी की गारण्टी देता है | अतुल भी यह वचन देता है कि वह हर महीने कम से कम एक बार अरुण के हिसाब की जाँच करेगा | अतुल, अरुण के हिसाब की बिल्कुल जाँच नहीं करता और अरुण कुछ रुपये गबन कर लेता है | अतुल, अजय को गबन के लिये उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता क्योंकि उसने अजय के प्रति कर्तव्य का पालन नहीं किया |

7. **ऋणदाता द्वारा प्रतिभूति खो देने पर (By loss of Security)** – यदि प्रतिभूति अनुबन्ध के अंतर्गत ऋणदाता को कोई वस्तु या सम्पति जमानत के रूप में प्रदान की गई है और ऋणदाता उसे खो देता है अथवा प्रतिभू की सहमति के बिना मूल ऋणी को वापिस लार देता है तो प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है | (धारा 141)

उदाहरणार्थ, 'अ', 'ब' को 'स' की गारण्टी पर 500 रुपये उधार देता है | 'अ' के पास 'ब' का 400 रुपये मूल्य का फर्नीचर बन्धक रखा हुआ है | बाद में 'अ' बन्धक रखे हुये फर्नीचर को 'स' की सहमति के बिना 'ब' को लौटा देता है | यहाँ पर फर्नीचर के मूल्य की राशि तक 'स' का दायित्व समाप्त हुआ माना जायेगा |

8. **दायित्व का निष्पादन होने पर (By Performance)** – मूल ऋणी द्वारा समय पर अपने वचन को पूरा करने पर अथवा मूल ऋणी की त्रुटि की दशा में प्रतिभू द्वारा वचन का निष्पादन किये जाने पर प्रतिभू अथवा दायित्व से मुक्त हो जाता है |
9. **प्रतिभूति अनुबन्ध के अवैध हो जाने पर (By Invalidation of the Contract of Guarantee)** – जब कोई गारण्टी कपट, मिथ्यावर्णन या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर प्राप्त की गई हो तो गारण्टी अनुबन्ध अवैध होता है और ऐसी दशा में प्रतिभू अपने दायित्वों से मुक्त समझा जाता है |

Notes By Akhilesh Kumar
JK college Biraul Darbhanga
YouTube : A commerce Education

प्रतिभू के अधिकार (Rights of the Surety)

प्रतिभू के अधिकारों की निम्नलिखित तीन भागों में बाँटा जा सकता है -

1. **मूल ऋणी के विरुद्ध अधिकार (Rights Against the Principal Debtor) – धारा 140 के अनुसार जब मूल ऋणी अपने वचन के निष्पादन अथवा ऋण के भुगतान में त्रुटि करता है इस कारण से प्रतिभू को उसकी ओर से भुगतान करना पड़ता है या वचन का निष्पादन करना पड़ता है तो उसे वे सब अधिकार प्राप्त हो जाते है जो की ऋणदाता को मूल ऋणी के विरुद प्राप्त थे | प्रतिभू मूल ऋणी से वे सब रकमें प्राप्त करने का भी अधिकारी होता है जो उसने प्रतिभूति के अधीन वैधानिक रूप से चुकायी जा सकती है, परन्तु यदि वह किसी गलत रकम का भुगतान कर देता है तो उसके लिये मूल ऋणी उतरदायी नहीं ठहराया जा सकता |**

उदाहरणार्थ, (i) 'अ', 'स' द्वारा 'ब' से लिये गये कुछ ऋण के लिये प्रतिभू है | 'ब', 'अ' से इस धन की माँग करता है तथा मना करने पर उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत करता है जिसका कुछ उचित आधार होने के कारण 'अ' द्वारा प्रतिवाद किया जाता है | परन्तु 'अ' को वाद की लागत सहित ऋण की रकम का भुगतान करना पड़ता है | 'अ', 'स' से दोनों धनराशि प्राप्त कर सकता है |

इन वाद में यदि 'अ' के पास प्रतिवाद के लिये उचित आधार न होता तो वह वाद की लागत को 'स' से प्राप्त नहीं कर पाता |

(ii) 'अ','ब' द्वारा 'अ' को दिये गये चावल पर 2,000 रुपये की सीमा रक प्रत्याभूति देता है | 'ब', 'स' को 2,000 रुपये से कम मूल्य का चावल देता है किन्तु वह दिये चावल के बदले 'अ' से 2,000 रुपये का भुगतान प्राप्त कर लेता है | 'अ', 'स' से वास्तव में दिये गये चावल के मूल्य से अधिक धन वसूल नहीं कर सकता है |

2. **ऋणदाता के विरुद्ध अधिकार (Rights Against the creditor) –**

धारा 141 के अनुसार, जब प्रतिभू (गारण्टीकर्ता) ऋणदाता के प्रति अपने दायित्व को पूरा कर देता है तो वह ऋणदाता से ऐसी प्रत्येक वस्तु या सम्पति प्राप्त करने का अधिकारी होता है जो गारण्टी का अनुबन्ध करते समय उस ऋण की जमानत के रूप में ऋणदाता के पास थी, भले ही प्रतिभू (गारण्टीकर्ता) को इसकी जानकारी हो या न हो | यदि ऋणदाता जमानत की वस्तु खो देता है अथवा, गारण्टीकर्ता की अनुमति के बिना ही उसे किसी दूसरे को देता है तो प्रतिभू उस वस्तु या सम्पति के मूल्य को सीमा तक अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है |

उदाहरणार्थ, अतुल सन्दीप की गारण्टी पर विशाल की 1,000 रुपये उधार दे देता है एवं प्रतिभूति के रूप में विशाल की घड़ी भी रख लेता है

| विशाल द्वारा भुगतान न करने पर सन्दीप 1,000 रुपये अतुल को देता है | ऐसी दशा में सन्दीप को अधिकार है की वह जमानत के रूप में विशाल द्वारा दी गई घड़ी को अतुल से प्राप्त कर ले |

3 सह प्रतिभाओं के विरुद्ध प्राप्त अधिकार (Rights Against Co-Sureties) – जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही ऋण अथवा दायित्व के प्रतिभू बने हुये हों तो उन्हें सह-प्रतिभू कहते है |

दूसरे शब्दों में जब एक ही ऋण या वचन के लिये दो या दो से अधिक व्यक्ति गारण्टी देते है तो सह-सह-प्रतिभू कहते है | सह-प्रतिभूओं की निम्नलिखित दो प्रकार की स्थिति हो सकती है -

(i) सह-प्रतिभू समान रूप से अंशदान के लिये उत्तरदायी है - धारा 146 के अनुसार जहाँ दो या अधिक व्यक्ति, संयुक्त अथवा पृथक रूप से किसी एक ही ऋण अथवा कर्तव्य निष्पादन के लिये श-प्रतिभू है तो वे किसी विपरीत अनुबन्ध के अभाव में उस ऋण अथवा उसके उस भाग के लिये जो मूल ऋणी द्वारा चुकाया नहीं गया है, आपस में बराबर रकम के लिये जिम्मेदार होते है अर्थात् प्रतिभू को अपने सह-प्रतिभू से समान अंश प्राप्त करने का अधिकार होता है | यह महत्वहीन है की अनुबन्ध करते समय उसे दूसरे प्रतिभू के बारे में ज्ञान था या नहीं अथवा

वे अपने को एक या विभिन्न अनुबन्धो के अंतर्गत बाध्य करते है |

उदाहरणार्थ, 'अ', 'ब' तथा 'स', 'द' को 'र' द्वारा उधार दिये गये 3,000 रुपये के लिये प्रतिभू है | 'द' भुगतान में त्रुटि करता है | 'अ', 'ब' तथा 'स' में से प्रत्येक बराबर की रकम 1,000 रुपये के लिये अलग-अलग उत्तरदायी है |

(ii) विभिन्न राशियों के लिये गारण्टी देने वाले सह-प्रतिभूओं के दायित्व - धारा 147 के अनुसार जब सह-प्रतिभाओं ने भिन्न-भिन्न राशियों के भुगतान का दायित्व उठाने के लिये गारण्टी दो हीं , तो वह अपनी-अपनी गारण्टी की सीमा तक बराबर-बराबर धनराशि चुकाने के लिये उत्तरदायी होंगे अर्थात् प्रतिभू अपने सह-प्रतिभू से ऐसी धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी है |

उदाहरणार्थ, अरुण, अतुल व राहुल एक खजांची की क्रमशः 10,000 रुपये, 20,000 रुपये व 30,000 रुपये तक की गारण्टी देते हगे | खजांची 30,000 रुपये का गबन करता है इस दशा में तीनों को दस-दस हजार रुपये देने होंगे | लेकिन अगर वह 40,000 रुपये का गबन करता है तो अरुण 10,000 रुपये, अतुल 15,000 रुपये व राहुल 15,000

रुपये देगा | यदि गबन की रकम 55,000 रुपये है तो अरुण 10,000 रुपये अतुल 20,000 रुपये व राहुल 25,000 रुपये के लिये दायी होगा |

संक्षेप में, यदि किसी सह-प्रतिभूओं को पुरे ऋण का भुगतान करना पड़ता है, तो वह दूसरे प्रतिभूओं से उनके हिस्सों की रकम वसूल करने का अधिकारी होता है |

प्रतिभू का दायित्व (Liability of Surety)

प्रतिभू का दायित्व गौण होता है | उसका दायित्व उस समय उत्पन्न होता है जबकि मूल ऋणी अपने वचन के सम्बन्ध में त्रुटि करता है | यदि मूल ऋणी कोई त्रुटि नहीं करता अथवा अपने वचन का निष्पादन स्वयं कर देता है तो प्रतिभू दायी नहीं होता | किन्तु ज्यों ही मूल ऋणी भुगतान करने में त्रुटि करता है त्यों ही प्रतिभू मूल ऋणी के रूप में ऋणदाता के प्रति दायी हो जाता है |

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 128 के अनुसार,

"जब की अनुबन्ध में इनके विपरीत कोई ऐसी व्यवस्था न हो, प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के साथ सह-विस्तृत होता है |" इस धारा का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है जैसा दायित्व मूल ऋणी का होगा वैसा ही दायित्व मूलकणों द्वारा गलती किये जाने पर, प्रतिभू का

होगा अर्थात् प्रतिभू के दायित्व की मात्रा भी होगी जितनी की स्वयं मूल ऋणी की है | अतः प्रतिभूति के अनुबन्धो के अंतर्गत ऋणदाता, मूल ऋणी से ऋण की राशि, मूलधन पर ब्याज, मुकद्दमे के व्यय आदि जो भी हो, वैधानिक रूप से वसूल करने का अधिकार रखता है, वही सब प्रतिभू से भी प्राप्त करने का उसे अधिकार है | कहने का अभिप्राय यह है की प्रतिभू उस समस्त राशि व व्ययों को चुकाने के लिये बढ़े है जो की मूल ऋणी को चुकाने पड़ते है |

उदाहरणार्थ, 'अ' एक विनियम पत्र 'ब' इसे स्वीकार कर लेता है | 'स', 'ब' को विनियम पत्र में लिखी रकम के भुगतान के लिये प्रत्याभूति देता है | 'ब' इस बिल को तिरस्कृत कर देता है | ऐसी दशा में 'स' न केवल विनियम पत्र में लिखी रकम के लिये दायी होगा | बल्कि उस रकम पर ब्याज तथा नवीनीकरण के खर्चो के लिये भी दायी होगा | यहाँ पर यह उल्लेखनीय ही की यदि अनुबन्ध करते समय प्रतिभू ने अपने दायित्व की कोई सीमा निर्धारित कर दी है तो ऐसी दशा में प्रतिभू द्वारा निश्चित की गई रकम से अधिक रकम उससे वसूल नहीं की जा सकती है |